भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

नियुक्ति एवं कार्यकाल

अनुच्छेद 148:

- **नियुक्तकर्त्ता:** भारत के राष्ट्रपति
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
- **निष्कासन प्रक्रिया:**
  - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान
  - सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिये संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है
- **शपथ:** भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिये

स्वतंत्रता

अनुच्छेद 148:

- **सुरक्षित कार्यकाल;** राष्ट्रपति के विवेक पर हटाया नहीं जा सकता
- कार्यकाल के बाद सरकारी पद के लिये अयोग्य
- **भारत की संचित निधि** से लिया जाने वाला वेतन एवं कार्यालय व्यय (संसदीय मत के अधीन नहीं)
  - कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता

अनुच्छेद 149: संसद द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें; नियुक्ति के बाद CAG को बदला नहीं जा सकता

कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ

अनुच्छेद 149: CAG के कर्त्तव्य और शक्तियाँ निर्धारित करता है

- **लेखा:**
  - भारत एवं राज्यों की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, एवं सार्वजनिक लेखा
  - सार्वजनिक राजस्व द्वारा वित्तपोषित सरकारी निकाय, निगम और प्राधिकरण
- **अनुच्छेद 150:** संघ एवं राज्य लेखाओं के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है
- **अनुच्छेद 279:** करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है

अनुच्छेद 151: प्रतिवर्ष 3 लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

- **अध्यक्ष –** विनियोग, वित्त खातों और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा
- **राज्यपाल -** राज्य विधानसभाओं के लिये राज्य लेखा पर रिपोर्ट

भूमिका

- **संसद के एजेंट के रूप में कार्य करना:** यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक और कुशलतापूर्वक किया जाए
- **लोक लेखा समिति (PAC):** इसके सलाहकार के रूप में कार्य करती है
- पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है
- अपने ब्रिटिश समकक्ष के विपरीत, यह नियंत्रक के रूप में नहीं बल्कि **महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है**

संबंधित मुद्दे

- **ऑडिट रिपोर्ट में विलंब:** निगरानी और पारदर्शिता कम हो जाती है
- **पोस्ट-फैक्टो ऑडिट पर ध्यान केंद्रित करना:** सक्रिय नियंत्रण को सीमित करता है
- **संसाधन संबंधी चुनौतियाँ:** आर्थिक विशेषज्ञता और स्टाफ की कमी
- **सीमित बजट-पूर्व भूमिका:** निर्णय लेने में शामिल नहीं

के संजय मूर्ति नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार संभालेंगे

CAG कार्यालय में सुधार हेतु सिफारिशें (विनोद राय-पूर्व CAG द्वारा दी गई)

- CAG के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें **PPP, पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी वित्तपोषित समितियों को भी शामिल किया जाना**
- आधुनिक शासन के अनुरूप **CAG** अधिनियम **1971** में संशोधन करना
- नवीन CAG के चयन के लिये **कॉलेजियम प्रणाली** बनाना

अधकि पढ़ें: भारत के नयिंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/comptroller-auditor-general-of-india-cag-